सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

एक सकारात्मक पहल

E- Booklet (2nd Edition)

Jeevan Pramaan

August 2024

Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)
Regional Office Bathinda

कुमार रोहित
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
पंजाब एवं हि.प्र.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार(
आंचलिक कार्यालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश
एस सी ओ .4-7, सेक्टर-17 डी, चंडीगढ़-160017
दूरभाष:0172-2720170

संदेश

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता और गर्व हो रहा है कि मैं डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र)DLC) अद्यतन प्रक्रिया पर आधारित इस ई-पुस्तिका के दूसरे संस्करण काशुभारंभ कर रहा हूँ। यह संस्करण भटिंडा क्षेत्रीय कार्यालय की समर्पित और परिश्रमी टीम के अथक प्रयासों और विशिष्ट कार्यों का सजीव प्रतीक है। उनकी उत्कृष्टता के प्रति अडिग समर्पण और निरंतर सुधार की दिशा में उनके प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय हैं। यह ईपुस्तिका ह-मारे सम्मानित हितधारकों को सर्वोच्च गुणवत्ता की सेवाएँ प्रदान करने के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस संस्करण का सूत्रपात अक्तूबर 2023 में पंजाब और हिमाचल प्रदेश अंचल की समीक्षा बैठक से हुआ था, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि कई DLCs तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। इस देरी का प्रमुख कारण यह था कि पेंशन भोगी अथवा उनके आश्रित अद्यतन नियमों से अपरिचित थे, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन राशि के नुकसान की संभावना उत्पन्न हो गई थी। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय कार्यालय को मे 'मोड-मिशन'ं इन पेंशनभोगियों से संपर्क स्थापित करने और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए उनके DLCs को शीघ्रता से अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

इस प्रक्रिया के दौरान हमें कई हृदयस्पर्शी कहानियाँ सुनने को मिलीं, जिनमें से कुछ को हमने अपनी ईपुस्तिका के प्रथम -संस्करण, 'एक सकारात्मक पहल पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अद्यतन करने का प्रयास -', में साझा किया था। इस प्रारंभिक संस्करण, जिसमें क्षेत्र की अनेक मार्मिक कहानियों को समाहित किया गया था, को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इसी से प्रेरित होकर हमने अपने प्रयासों को और भी सशक्त बनाया, और अधिकाधिक प्रभावित व्यक्तियों तक पहुँचने का संकल्प लिया।

इस संस्करण में भटिंडा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो अन्य कार्यालयों के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। इस प्रक्रिया के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं, जिनका विस्तारपूर्वक उल्लेख इस संस्करण में किया गया है। इसमें लंबित जीवन प्रमाणपत्रों के अद्यतन और पेंशन को समयबद्ध तरीके से जारी करने के प्रयासों का भी वर्णन किया गया है।

मैं इस विशिष्ट प्रकाशन को साकार करने में भटिंडा क्षेत्रीय कार्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। यह प्रकाशन हम सभी को हमारे सामूहिक लक्ष्यों की दिशा में और भी अधिक समर्पण और प्रेरणा के साथ कार्य करने का मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

इस महती प्रयास में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, और मुझे इस ईपुस्तिका के माध्यम से -हितधारक संतुष्टि और सेवा प्रदायगी पर सकारात्मक प्रभाव का साक्षी बनने की प्रतीक्षा है।

श्री कुमार रोहित
अपर केन्द्रीय भ(प्र।.पंजाब एवं ह) आयुक्त. नि .

प्रस्तावना

कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत एक बार पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनरों को प्रत्येक वर्ा अपना जीवन प्रमाणपत्र अपडेट करवाना अनिवार्य है चजससे पेंशन लगातार जारी रह सके । चकन्तु चवचभन्न कारणों जैसे ज्ञानाभावए शारीररक एवं आचथाक असमथाताए पररवार के मुस्तिया की मृत्युए इत्याचि के कारण कु छ पेंशनर अपना जीवन प्रमाणपत् प्रचतवर्ा अपडेट नहीं करवा पाते चजसके पररणामस्वरूप उनकी पेंशन की अिायगी रुक जाती है और इस प्रकार कमािारी पेंशन योजनाए 1995 के द्वारा प्रिान की जाने वाली न्यूनतम सामाचजक सुरक्षा से वे वंचित रह जाते है ।

पंजाब एवं चहमाचल प्रिे श अंचल की अक्तूबरए 2023 माह की समीक्षा बैठक में िििा के िौरान सभी क्षेत्ीय कायाालयों के प्रभारी अचिकाररयों को आगामी नवंबर माह में पेंशनरों के जीवन प्रमाणपत् त्वररत गचत से अपडेट करने हेतु तैयार रहने तथा साथ.साथ चजन पेंशनरों की पेंशन चपछले पाँि वर्ों से चकन्ीं भी कारणों से रूकी हुई हैए उनकी पेंशन पुनः शुरू करने के चवर्य पर गहन चविार हुआ।

जब सामान्य चनिे शों का पालन कर िे ने के बावजूि भी पेंशनरों से संपका नहीं स्थाचपत चकया जा सका तो सामान्य से कु छ अलग प्रयास करने की कोचशश की गई । एक पेंशनर तक उसकी पेंशनए जो चवगत कई वर्ों से रूकी पड़ी थीए वह पहुंिेए इसके चलए पंजाब एवं चहमािल प्रिे श अंिल के कमािारी भचवष्य चनचि संगठन केकायाालय के लोगों द्वारा सामान्य से इतर चकए गए कु छ सतत प्रयासोए अचवरत कोचशशों को यहाँ कलमबद्धचकया गया है।

रीना मंडल

क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि आयुक्त .1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भटिंडा

कहानियो की सूची

01 Jh कुलदीप सिंह
PPO No. 17084

02 Jhजसपाल सिंह
PPO NO. 16535

03 श्री अमनदीप बंसल
PPO NO. 15748

04 श्री दर्शन सिंह भुल्लर
PPO NO. 13076

05 श्री रणजीत सिंह
PPO NO. 16041

06 श्रीमती कृष्णा देवी
PPO NO. 1869

07 श्री विक्रम चैधरी
PPO NO.4676

08 श्री करनेल सिंह
PPO NO.11499

TemplateLAB

09 श्रीमती गुरमेल कौर

PPO NO. 12935

10 श्री वेद प्रकाश नागपाल

PPO NO.6853

11 श्रीमती महंेद्र कौर

PPO NO. 5241

12 श्री अजीत सिंह

PPO NO. 3020

13 श्रीमती रेशमा कौर

PPO NO. 18180

14 श्री करमजीत सिंह

PPO NO.19791

15 श्रीमती स्वर्ण कौर

PPO NO. 6876

16 श्री हरमेंद्र सिंह

PPO NO. 8456

TemplateLAB

17 श्री गुरशरण सिंह
PPO NO. 13431

18 श्रीमती रेमपी
PPO NO. 23148

19 श्री श्याम लाल
PPO NO. 570

20 श्री बलजिंदर सिंह
PPO NO. 20747

21 श्री जगषीर सिंह
PPO NO. 17041

22 श्री मल सिंह
PPO NO. 20545

23 श्री सन्तोक सिंह
PPO NO. 23064

24 श्री सन्तोष सिंह
PPO NO. 20663

TemplateLAB

सफलता की कहानी -1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गलियारों में एक दिल छू लेने वाली सफलता की कहानी सामने आई, जो क्षेत्रीय कार्यालय में पेंशन शाखा के मेहनती प्रयासों से शुरू हुई, जहां यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया कि पेंशनभोगियों को समय पर उनका हक मिले।

इस अभियान के तहत जिन कई पेंशनभोगियों से संपर्क किया जा रहा था उनमें श्रीमती बलजीत कौर भी थीं

सिद्दू, श्री कुलदीप सिंह की पत्नी। पेंशन प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होने के बावजूद, श्रीमती सिद्दू को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी। जब पेंशन विभाग उसके पास पहुंचा, तो वह वर्षों से जमा हो रहे पेंशन बकाया के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गई।

विशेष टीम (पेंशन) के मार्गदर्शन और समर्थन से, श्रीमती बलजीत कौर सिद्दू ने तुरंत सभी आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर दिए। पेंशन विभाग ने उसके मामले को संसाधित करने में समय बर्बाद किया और कुछ ही दिनों के भीतर रुपये की पर्याप्त राशि बर्बाद कर दी। पेंशन बकाया के रूप में 130,000/- रुपये उनके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।

इस अप्रत्याशित अप्रत्याशित लाभ से अभिभूत होकर, श्रीमती बलजीत कौर सिद्दू ने क्षेत्रीय कार्यालय, बठिंडा के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वह मिले जो उनका हक है। उनकी हार्दिक सराहना पेंशनभोगियों की भलाई की देखभाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रतिबद्धता और समर्पण के प्रमाण के रूप में काम करती है।

जैसे ही श्रीमती सिद्दू की सफलता की कहानी फैली, इसने अन्य पेंशनभोगियों के लिए प्रेरणा का काम किया जो शायद अपने अधिकारों से अनजान थे। विशेष अभियान न केवल पेंशन बकाया के वितरण के मामले में, बल्कि पेंशनभोगियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच बंधन को मजबूत करने में भी एक शानदार सफलता साबित हुआ।

और इसलिए, विश्वास और कृतज्ञता की एक नई भावना के साथ, श्रीमती बलजीत कौर सिद्दू ने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की, इस ज्ञान के साथ कि उनका भविष्य अब आर्थिक रूप से सुरक्षित है, बशर्ते कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अटूट समर्थन हो।

सफलता की कहानी - 2

श्रीजसपाल सिंह ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए चिलचिलाती धूप में खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए बिताया। जैसे ही उन्होंने अपने अंतिम पड़ाव में प्रवेश किया, उन्हें इस बात से सांत्वना मिली कि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग से पेंशन मिलेगी।

हालाँकि, उन्हें यह नहीं पता था कि अपनी अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण, उन्होंने 5 वर्षों से अधिक समय से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अपडेट या जमा नहीं किया है। नतीजतन, उनकी पेंशन रोक दी गई, जिससे वह और उनका परिवार गहरे वित्तीय संकट में फंस गया

एक दिन, श्रीजसपाल सिंह के साधारण निवास पर एक पत्र आया, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मुहर लगी हुई थी। स्वयं इसे पढ़ने में असमर्थ होने पर, उसने एक दयालु पड़ोसी की मदद मांगी जिसने पत्र की सामग्री को समझ लिया। तब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ - उनकी पेंशन खतरे में थी

मुद्दे को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित, श्रीजसपाल सिंह बठिंडा में क्षेत्रीय कार्यालय गए, जहां दयालु अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने धैर्यपूर्वक डिजिट लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट करने के महत्व को समझाया, कृतज्ञता से अभिभूत, श्रीजसपाल सिंह ने समझा कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए उनका टिकट था। और मन की शांति.

उस दिन जब वह कार्यालय से निकला, तो उसके मन में आशा और राहत की भावना झलक उठी। वित्तीय सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम होने के विचार ने उनके दिल को नए सिरे से खुशी से भर दिया, श्रीजसपाल सिंह ने आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने की कसम खाई कि उनकी पेंशन बहाल हो जाए।

और इसलिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अथक प्रयासों और श्रीजसपाल सिंह के अटूट दृढ़ संकल्प के कारण, एक सफलता की कहानी का जन्म हुआ। निराशा से आशा तक की उनकी यात्रा ने सामाजिक कल्याण पहल की शक्ति और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के महत्व का प्रमाण दिया।

आज, श्री जसपाल सिंह लचीलेपन और दृढ़ता का एक चमकदार उदाहरण बनकर खड़े हैं, जो दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी वित्तीय भलाई की जिम्मेदारी लें और विपरीत परिस्थितियों में कभी उम्मीद न खोएं। और चूँकि वह नई

आशावाद के साथ भविष्य की ओर देखता है, वह जानता है कि अपनी पेंशन के साथ, वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकता है।

सफलता की कहानी -3

श्री अमनदीप बंसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में एक समर्पित कार्यकर्ता थे, जहाँ उन्होंने कई वर्षों तक लगन से सेवा की थी। उनके आकस्मिक निधन से उनकी पत्नी श्रीमती दीप्ति मितल और उनके बेटे अर्जुन बंसल को भारी मन और अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा।

ईपीएफओ विभाग हमेशा अपने सदस्यों के परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। इसलिए, श्री अमनदीप बंसल के निधन के बाद, उनकी पत्नी और बेटे को उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पेंशन लाभ दिया गया। हालाँकि, अद्यतन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की कमी के कारण, 2017 में पेंशन भुगतान अचानक बंद कर दिया गया था।

श्रीमती दीप्ति मितल और अर्जुन बंसल के कल्याण के बारे में चिंतित होकर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन सभी पेंशनभोगियों से संपर्क करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया, जिनके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पांच साल से अधिक समय से अपडेट नहीं किए गए थे। श्रीमती दीप्ति मितल की संपर्क जानकारी ढूंढने में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ईपीएफओ टीम ने उन तक पहुंचने के तरीकों की अथक खोज की।

अंततः, मेहनती प्रयासों के बाद, ईपीएफओ के लेखा अधिकारी श्री सुभाष कुमार ने श्रीमती दीप्ति मितल से संपर्क किया। उन्हें अपने पेंशन लाभ फिर से शुरू करने और अपने बेटे के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में बताया गया। कृतज्ञता और राहत के साथ, श्रीमती दीप्ति मितल ने तुरंत सभी आवश्यक दस्तावेज ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर दिए।

दस्तावेजों के गहन सत्यापन के बाद, ईपीएफओ टीम ने श्रीमती दीप्ति मितल और अर्जुन बंसल की बकाया पेंशन राशि का तेजी से निपटान किया। रुपये की राशि. श्रीमती दीप्ति मितल को 1,58,536/- रूपये का भुगतान किया गया। उनके बेटे अर्जुन बंसल को 40,716/- रुपये का भुगतान किया गया। इस अप्रत्याशित वित्तीय राहत से

श्रीमती दीप्ति मितल के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए और अर्जुन बंसल के लिए उज्जवल भविष्य की नई उम्मीद जग गई श्रीमती दीप्ति मित्तल और अर्जुन बंसल की सफलता ने सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने और अपने कर्मचारियों के जीवनकाल के बाद भी उनके समर्पण का सम्मान करने के लिए ईपीएफओ की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया है। आशा और समर्थन की किरण के रूप में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक समय में एक पेंशनभोगी, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने और उन्हें सशक्त बनाने का अपना मिशन जारी रखा। और इस प्रकार, श्री अमनदीप बंसल की विरासत ईपीएफओ विभाग की दयालुता और उदारता के माध्यम से जीवित रही।

सफलता की कहानी -4

श्री दर्शन सिंह भुल्लर, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और बदले में, वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने के हकदार थे। हालाँकि, अपने गिरते स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के कारण, उन्होंने पिछले छह वर्षों से अपने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को अपडेट करने में लापरवाही की थी।

इस निरीक्षण के परिणामस्वरूप, श्री दर्शन सिंह भुल्लर की पेंशन अचानक बंद कर दी गई, जिससे वह और उनका परिवार संकट की स्थिति में आ गए। क्षेत्रीय कार्यालय बठिंडा के अधिकारियों ने फ़ाइल में मौजूद मोबाइल नंबर पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि यह गलत था। उनसे संपर्क करने के अंतिम प्रयास में, उन्होंने उनके पते पर एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें स्थिति की जानकारी दी गई।

सौभाग्य से, पत्र एक चिंतित पड़ोसी के हाथों तक पहुंच गया, जिसने तुरंत श्री दर्शन सिंह भुल्लर से संपर्क किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, पड़ोसी ने दर्शन सिंह को छूटे हुए अपडेट और उसके बाद उनके पेंशन भुगतान में रुकावट के बारे में सूचित किया। तात्कालिकता की भावना का सामना करते हुए, दर्शन सिंह ने कार्रवाई करने का फैसला किया और अपने पड़ोसी की मदद से क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया।

कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें उनके पेंशन लाभों के नवीनीकरण के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की। उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभारी दर्शन सिंह ने तुरंत आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए। कार्यालय के कर्मचारियों ने उनके मामले पर कार्रवाई करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत लंबित पेंशन राशि रुपये जारी कर दी। उन्हें 18,104/- रु.अपनी आँखों में कृतज्ञता के आँसू के साथ, श्री दर्शन सिंह भुल्लर ने बठिंडा में क्षेत्रीय कार्यालय को उनकी असाधारण देखभाल और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उनकी मासिक पेंशन की बहाली से न केवल वित्तीय राहत मिली, बल्कि उन्हें और उनके प्रियजनों को सुरक्षा और मानसिक शांति का एहसास भी हुआ। उस दिन के बाद से, दर्शन सिंह ने हर पल को संजोया, यह जानते हुए कि उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित पेंशन उनके स्वर्णिम वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान करती रहेगी। और इसलिए, कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ, उन्होंने स्वीकार किया

सफलता की कहानी –5

रणजीत सिंह ने सेवानिवृत्त होने से पहले कई वर्षों तक अपने कार्यालय में लगन से सेवा की थी और अब उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से नियमित रूप से पेंशन मिल रही थी। हालाँकि, त्रासदी तब हुई जब रणजीत सिंह का अपनी पत्नी जसबीर कौर को छोड़कर निधन हो गया।

प्रोटोकॉल के अनुसार, परिवार को रणजीत सिंह के निधन के बारे में अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक था ताकि जसबीर सिंह को पेंशन लाभ मिलता रहे। दुर्भाग्य से, फ़ाइल में गलत मोबाइल नंबर के कारण, परिवार उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों से अनभिज्ञ था।

जब रणजीत सिंह और जसबीर कौर के बेटे रणबीर सिंह को बठिंड के क्षेत्रीय कार्यालय से एक पत्र मिला तब उन्हें स्थिति का एहसास हुआ। असमंजस और चिंता की स्थिति में, रणबीर ने यह मार्गदर्शन लेने के लिए कार्यालय का दौरा किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि उसकी मां को पेंशन मिलती रहे।

क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी समझ रहे थे और रणबीर को जसबीर कौर के लिए पेंशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची प्रदान की। आवश्यक कागजी कार्रवाई इकट्ठा करने के बाद, रणबीर ने सत्यापन के लिए कार्यालय में सब कुछ जमा कर दिया।

गहन समीक्षा के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय ने पुष्टि की कि जसबीर कौर अपनी बकाया पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 80,106/- रुपये की राशि तुरंत उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई, जिससे कठिन समय के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

कृतज्ञता से अभिभूत, श्रीमती जसबीर कौर ने यह सुनिश्चित करने में सहायता के लिए बठिंडा में क्षेत्रीय कार्यालय को हार्दिक धन्यवाद दिया कि उन्हें अपनी पेंशन मिलती रहेगी। समय पर हस्तक्षेप और स्थिति के कुशल प्रबंधन ने परिवार पर बोझ को कम कर दिया और चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान उन्हें राहत दी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले, जसबीर कौर और रणबीर सिंह ने यह जानकर आश्वस्त महसूस किया कि जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, क्षेत्रीय कार्यालय में देखभाल करने वाले व्यक्तियों का समर्थन उन्हें मिलता है। और इसलिए, सुरक्षा की एक नई भावना के साथ, वे घर लौट आए, जो उन्हें मिली मदद के लिए आभारी थे

सफलता की कहानी - 6

पेंशनभोगी अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर निर्भर रहे हैं। यह कई बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा रही है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की है और अब गुजारा करने के लिए इस आय पर निर्भर हैं। हालाँकि, एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई - कुछ पेंशनभोगियों ने तीन वर्षों से अधिक समय से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन पेंशनभोगियों तक पहुंचने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। उन्होंने पहले उनके फ़ोन और फ़ाइल में मौजूद पते पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जिनकी जानकारी पुरानी या ग़लत थी, उन्होंने सहायता के लिए बैंकों का रुख किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में प्रवर्तन अधिकारियों को इन पेंशनभोगियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्देश दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यकता से अवगत हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिंडा में, एक ऐसी पेंशनभोगी थीं - श्री जीत सिंह की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी। फ़ाइल में गलत मोबाइल नंबर के कारण, उसे अपने अतिदेय जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था। जब अंततः उन्हें ईपीएफओ से एक पत्र मिला, तो उन्होंने निर्देशानुसार अनुभाग पर्यवेक्षक श्री जगदीश से संपर्क किया।

श्री जगदीश ने धैर्यपूर्वक श्रीमती कृष्णा देवी को स्थिति समझाई और समस्या को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने तुरंत बठिंडा में ईपीएफओ कार्यालय में डाक द्वारा अपने दो बच्चों

सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए। ईपीएफओ टीम ने तुरंत उसके आवेदन पर कार्रवाई की और अप्रैल 2024 के महीने में उसकी बकाया पेंशन बकाया राशि 72,165/- रुपये को मंजूरी दे दी।

श्रीमती कृष्णा देवी को मई 2024 में अपनी पहली मासिक पेंशन मिलने पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी स्थिति को हल करने और अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय प्रयासों के लिए ईपीएफओ टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अभियान से न केवल श्रीमती कृष्णा देवी को लाभ हुआ, बल्कि सामाजिक कल्याण और जरूरतमंद पेंशनभोगियों की सहायता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश पड़ा।

सफलता की कहानी -7

श्री विक्रम चौधरी ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पूरे साल चिलचिलाती धूप में खेतों में काम किया। और जब उनके सेवानिवृत्त होने का समय आया, तो वे अपने स्वर्णिम वर्षों में उन्हें बनाए रखने के लिए पेंशन प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग के आभारी थे।

हालाँकि, विक्रम और उसके परिवार के लिए भाग्य की कुछ और ही योजनाएँ थीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण चूक के कारण, विक्रम चौधरी पिछले 5 वर्षों से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन रोक दी गई। उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती देवी को इस पेंशन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि विक्रम चौधरी ने 2018 में अपने निधन से पहले कभी भी उनसे इसका उल्लेख नहीं किया था।

लेकिन श्रीमती फूलमती देवी के लिए सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। बठिंडा में क्षेत्रीय कार्यालय ने विक्रम चौधरी जैसे पेंशनभोगियों तक पहुंचने के लिए एक संपर्क अभियान शुरू किया था, जिन्होंने अपने जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट नहीं किया था। जब वे अंततः श्रीमती फूलमती देवी से उनके पति के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पहुंचे, तो वह अपने पति की पेंशन की खबर से हैरान रह गईं।

अपने दिवंगत पति को मिलने वाले लाभों के बारे में जानने पर श्रीमती फूलमती देवी ने आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर दिया। करुणा और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए, लेखा अधिकारी, श्री सुभाष कुमार ने कागजी कार्रवाई को तेजी से पूरा किया और श्रीमती फूलमती देवी को 51,000 रुपये की लंबित पेंशन राशि जारी की।

बहुप्रतीक्षित पेंशन राशि प्राप्त होते ही श्रीमती फूलमती देवी की आँखों में कृतज्ञता के आँसू छलक आये। धन्यवाद से भरे दिल के साथ, उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय की त्वरित कार्रवाई और उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति के लिए उनकी सराहना की और अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले मासिक पेंशन भुगतान के आश्वासन के साथ, श्रीमती फुलमती देवी को आखिरकार यह जानकर सांत्वना मिली कि उनकी दिवंगत पति की कड़ी मेहनत का सम्मान किया जा रहा था और बाद के वर्षों में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

बठिंडा में क्षेत्रीय कार्यालय एक बार फिर एक दुखी विधवा के जीवन में खुशी और मन की शांति लाने में सफल रहा, जिससे साबित हुआ कि नौकरशाही चुनौतियों का सामना करने में भी दया और सहानुभूति कायम रह सकती है। और जब श्रीमती फुलमती देवी ने अपनी नई वित्तीय सुरक्षा को अपनाया, तो उन्हें पता था कि उनके दिवंगत पति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा दी गई देखभाल और सम्मान के आभारी होकर स्वर्ग से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे।

सफलता की कहानी-8

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन पेंशनभोगियों तक पहुंचने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था जिन्होंने तीन साल से अधिक समय से अपने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किए थे। संपर्क करने वालों में दिवंगत पेंशनभोगी श्री करनैल सिंह की बेटी राजेंद्र कौर भी शामिल थीं।

जब राजेंद्र कौर को अपने मोबाइल फोन पर ईपीएफओ से कॉल आया, तो वह उस प्रावधान से अनजान थीं जो **25** वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता के निधन के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता था। अनुभाग पर्यवेक्षक श्री जगदीश कुमार ने उन्हें धैर्यपूर्वक योजना के बारे में समझाया, और उस सहायता पर प्रकाश डाला जो उनका परिवार प्राप्त करने का हकदार था।

अप्रत्याशित समाचार के लिए कृतज्ञता से भरी, राजेंद्र कौर ने तुरंत बठिंडा में क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए। ईपीएफओ ने दिसंबर **2019** से मार्च **2024** की अवधि के लिए **26163/-** रुपये की बकाया पेंशन राशि को तेजी से संसाधित किया। यह लंबे समय से प्रतीक्षित वित्तीय सहायता राजेंद्र कौर और उनके परिवार के लिए एक जीवन रेखा थी, जिससे उन्हें बहुत जरूरी राहत और स्थिरता मिली।

जैसे ही पेंशन राशि का हस्तांतरण संबंधित बैंक में शुरू किया गया, राजेंद्र कौर के परिवार ने उन तक पहुंचने में सक्रिय दृष्टिकोण के लिए क्षेत्रीय परिषद की हार्दिक सराहना की। ईपीएफओ टीम द्वारा प्रदर्शित दयालुता और दक्षता ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में सामाजिक कल्याण पहल के महत्व पर जोर दिया गया है।

इस हृदयस्पर्शी कहानी के माध्यम से, यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक अभियान और नीति के पीछे चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों के उत्थान और उन्हें सशक्त बनाने की वास्तविक इच्छा होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जीवन को छूना जारी रखा, उन लोगों के लिए आशा और सहायता लाई, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

सफलता की कहानी -9

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नही करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंशन बंद पडी हुई है। डिजीटल प्रमाण-पत्र जमा/मंगवाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी पेंशनरों को, कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य बस एक है - सामाजिक कल्याण।

श्रीमती गुरमेल कौर पत्नि श्री स्व हमीर सिंह पीपीओ संख्या 12935 की पेंशन 2018 से बकाया है। कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया गया है। लेकिन मोबाइल नंबर गलत होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया, बाद में कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र मिलने के बाद श्रीमती गुरमेल कौर ने पत्र में दिये गए मोबाईल नंबर पर श्री जगदीश, अनुभाग पर्यवेक्षक से संपर्क किया गया। और उन्होंने बताया कि मुझे इस पेंशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब श्री जगदीश, अनुभाग पर्यवेक्षक द्वारा पेंशनर को

ईपीएफओ की स्कीम के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई और उन्हे जीवन प्रमाणपत्र व आवश्यक दस्तावेज ईपीएफओ, बठिण्डा में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

अनुभाग पर्यवेक्षक के अनुरोध पर श्रीमती गुरमेल कौर द्वारा पेंशन को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कागजात क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा में जमा करवा दिये जाने के पश्चात, कार्यालय द्वारा तत्काल कारवाई करते हुए श्रीमती गुरमेल कौर को रूकी हुई बकाया पेंशन राशि 76,000/- रूप्ये का भुगतान कर दिया गया व माह जून 2024 से मासिक पेंशन प्रारंभ कर दी गई है।

श्रीमती गुरमेल कौर द्वारा इस विशिष्ट कार्य की सराहना की तथा आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

सफलता की कहानी - 10

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नही करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंशन बंद पडी हुई है।

इस प्रकार के पेंशनरों या उनके लाभार्थियों के डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी पेंशनरों को कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध उनके मोबाइल नंबर तथा स्थाई पते पर संपर्क किया जा रहा हैं। जिन पेंशनरों के मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची उपलब्ध करवाकर पेंशनरों/लाभार्थियों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य बस एक है - सामाजिक कल्याण।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने पेंशनर श्री वेद प्रकाश नागपाल पीपीओ संख्या 6853 का मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र प्राप्त होने के बाद श्री वेद प्रकाश नागपाल कि बेटी द्वारा पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर श्री सुभाष कुमार, लेखा अधिकारी, से संपर्क किया गया और उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता जी कि मृत्यु हो चुकी हैं, और उन्हें इस बात कि जानकारी ही नहीं थी कि पेंशन किस विभाग से आती है और पेंशन का लाभ किस प्रकार लेना हैं। तब श्री सुभाष कुमार, लेखा अधिकारी, द्वारा उनकी बेटी को पेंशन के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा अनुरोध किया गया कि यदि आप आपनी माता श्रीमती वंदना नागपाल के आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवा देती हैं तो उनके पति की पेंशन का लाभ आपको मिल सकता है।

हमने उन्हें जैसी जानकारी दी थी, उसके अनुसार ही उन्होंने सभी दस्तावेज अपनी माता जी को साथ लाकर क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा में जमा करवा दिए। हमने सभी दस्तावेजों को ठीक से जांचा। जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, पेंशनर को पेंशन एरियर के रूप में 69,586/- रूपये का भुगतान किया गया व माह मई 2024 से मासिक पेंशन

प्रारंभ कर दी गई है। श्रीमती वंदना नागपाल व उनकी बेटी द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन राशि मिलने के बाद तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा कि इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी - 11

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नही करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंशन बंद पडी हुई है। इस प्रकार के पेंशनरों या उनके लाभार्थियों के डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी पेंशनरों को कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध उनके मोबाइल नंबर तथा स्थाई पते पर संपर्क किया जा रहा हैं। जिन पेंशनरों के मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची उपलब्ध करवाकर पेंशनरों/लाभार्थियों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य बस एक है - सामाजिक कल्याण।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने पेंशनर श्रीमती महंेद्र कौर पीपीओ संख्या 5241 का मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र प्राप्त होने के बाद उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ अपनी माता श्रीमती महंेद्र कौर को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा में पहुचा और श्री अशोक कुमार, सामाजिक

सुरक्षा सहायक से संपर्क किया और आवश्यक दास्तवेज उन्हें दिये गये, दास्तावेजों को जांचने पर पाया कि पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र बैंक द्वारा सत्यापित नहीं था। उसके बाद जब जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटली करना चाहा लेकिन वृद्धावस्था के कारण उनका अंगूठा मैच नहीं हुआ। उसके बाद श्री अशोक कुमार, सामाजिक सुरक्षा सहायक द्वारा उनके जीवन प्रमाण पत्र को श्रीमती राजबाला, लेखा अधिकारी को उनके सभी मूल दास्तावेजों को दिखा कर सत्यापित करवाया गया, और फिर से सभी दस्तावेजों को ठीक से जांचा। जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, पेंशनर को पेंशन एरियर के रूप में 72,828/- रूपये का भुगतान कर दिया गया व माह मई 2024 से मासिक पेंशन प्रारंभ कर दी गई है।

श्रीमती महंेद्र कौर, उनके बेटे व उनके बेटे की पत्नी द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन राशि मिलने के बाद तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा कि इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी - 12

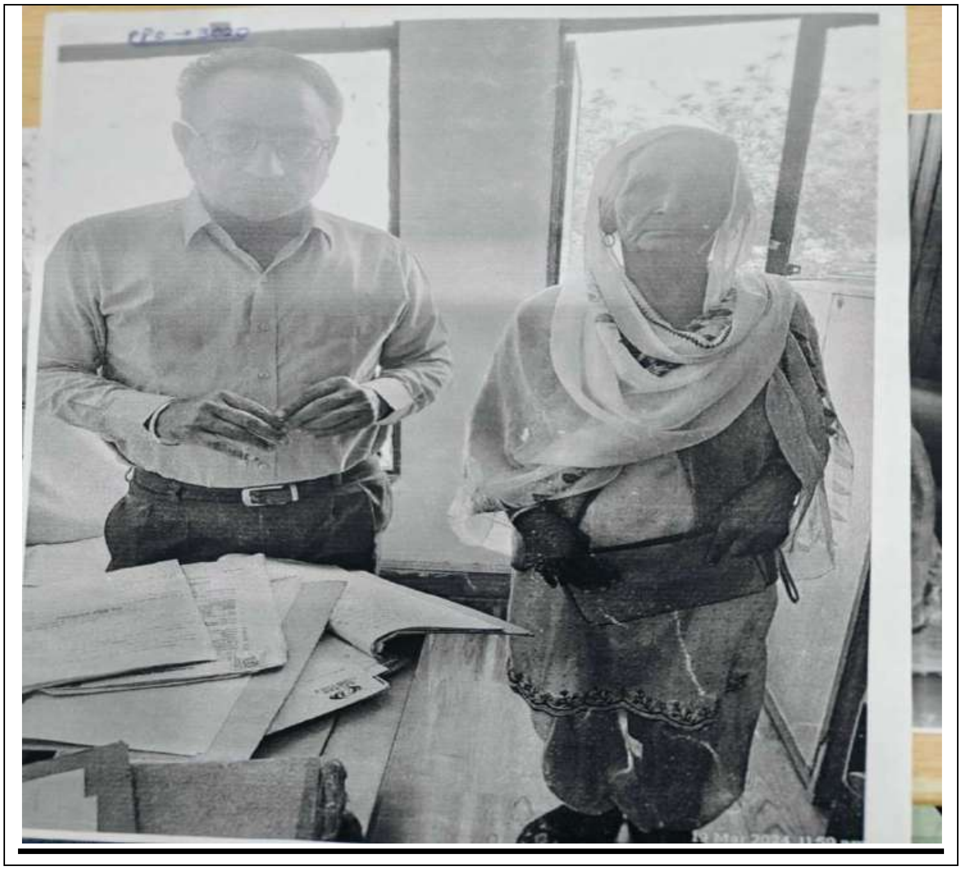

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नही करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंशन बंद पडी हुई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के द्वारा पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने कि लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पेंशनर श्री अजीत सिंह, पीपीओ संख्या 3020 को कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर सम्पर्क किया गया है, लेकिन मोबाइल नंबर गलत होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सूचित किया कि आपकी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न होने के कारण रूकी हुई है। पत्र प्राप्त होने के बाद श्रीमती लखविंदर कौर अपने रिश्तेदार के साथ कार्यालय में आये और उन्होंने बताया कि उनके पती की 2016 में मृत्यु हो चुकी थी और

उन्हें इस बात कि जानकारी ही नहीं थी कि पंेशन किस विभाग से लगी है और पेंशन का लाभ किस प्रकार लेना हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा आने पर उन्हंे पूरी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि आपके पत्ती की मृत्यु के बाद आपको पेंशन मिलेगी इसके लिए आपको कार्यालय में वर्णनात्मक नामाबली (क्मेबतपचजपअम त्वसस), जीवन प्रमाण पत्र और साथ में कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और बैंक पासबुक जमा करवाने होगें। ये सभी दस्तावेज बैंक से सत्यापित होगें जिस बैंक में आपके पत्ती का पेंशन बचत खाता खुला हुआ था। श्रीमती लखविंदर कौर ने अपने रिश्तेदार की मदद से कुछ समय पश्चात अपने सभी दस्तावेज कार्यायल में जमा करवा दिए। दस्तावेजों की जाॅच के उपरांत कार्यालय द्वारा श्रीमती लखविंदर कौर की बकाया पेंशन कि राशि 62,640/- रूपयेे का भुगतान कर दिया गया हैं व माह मई 2024 से मासिक पेंशन प्रारंभ कर दी गई है।

रिश्तेदार द्वारा की गई मदद से पेंशनर की मृत्यु के पश्चात, पेंशन लाभों से वंचित वृद्ध विधवा श्रीमती लखविंदर कौर को कार्यालय के अथक प्रयास से “सामाजिक सुरक्षा” प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई। कार्यालय की ओर से इस कार्य हेतु पेंशनर के रिश्तेदार का विशेष धन्यवाद किया गया। श्रीमती लखविंदर कौर द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन राशि मिलने के बाद तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा कि इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी -13

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नही करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंशन बंद पडी हुई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के द्वारा पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने कि लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पेंशनर/विधवा श्रीमती रेशमा कौर पत्नी स्व श्री हरमेल सिंह, पीपीओ संख्या 18180 को विधवा पेंशन नियमित रूप से जा रही थी परंतु दोनों बच्चों की पेंशन जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट ना करवाने के कारण रोक दी गई थी। पात्र बच्चे/लाभार्थी श्री अरमान सिंह व सुश्री आरती को पेंशन का लाभ देने कि लिए उनकी माताजी के मोबाइल नंबर 7508569493 पर संपर्क किया तो यह ज्ञात हुआ कि उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि बच्चों को भी पेंशन लगती है। इसके बाद पेंशन को कुछ आवश्यक कागजात जैसे जीवन प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की कापी, आधार की प्रति इत्यादि कार्यायल में जमा करने की सलाह दी गई। उन्हें यह भी विशेष रूप से बताया गया कि उनका बैंक बचत खाता भी उसी बैंक में होना चाहिए, जहाॅ उनकी माता श्रीमती रेशमा कौर का बैंक अकाउंट है।

लाभार्थी अरमान सिंह द्वारा अपने व अपनी बहन सुश्री अरती के आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने पर कार्यालय द्वारा तत्काल कारवाई करते हुए उन्हें रूकी हुई बकाया पेंशन राशि 16,492/- व 13,300/- रूपये का भुगतान कर दिया गया व माह अप्रैल 2024 से मासिक पेंशन प्रारंभ कर दी गई है। श्रीमती रेशमा कौर अपने बच्चों की बकाया पेंशन राशि मिलने के बाद तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा कि इस मुहिम की सराहना की। लाभार्थी अरमान सिंह व सुश्री अरती ने इस कार्य के लिए कार्यालय के प्रति अपना आभार प्रकट किया व कहा कि यदि कार्यालय द्वारा संपर्क न किया जाता तो शायद ही उन्हें भी कभी बाल पेंशन का लाभ मिल पाता।

सफलता की कहानी - 14

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंषनरों को पेंषन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंषन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंषनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवष्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंषनरों द्वारा 05 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाये है। उपरोक्त पेंषनरों के डिजीटल प्रमाण-पत्र जमा/मंगवाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विषेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी पेंषनरों को, कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिका ॅर्ड अनुसार मोबाईल व पेंषनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंषनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंषनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेषित किया गया है। इस अभियान के पीछे उद्देष्य बस एक है - सामाजिक कल्याण।

इसी कम्र में क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा द्वारा 05 वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण-पत्रों की सूची तैयार कर, उपलब्ध मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया गया है। इसी श्रृंखला में श्री करमजीत सिंह पीपीओ संख्या 19791 का यह केस सामने आया । श्री करमजीत सिंह के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसवीर कौर उनकी दो सुपुत्री श्रीमती तेजिन्दर कौर, श्रीमती बलजीत कौर व एक सुपुत्र श्री गुरुकिरत सिंह है । नियमानुसार श्री करमजीत सिंह की मृत्यु के पष्चात् उनकी धर्मपत्नी ताउम्र व उनकी दोनों बेटियाँ (25 वर्ष की आयु तक) पेंषन की हकदार बनती है । श्रीमती श्रीमती तेजिन्दर कौर की आयु मई 2019 में 25 वर्ष पूरी हो गयी जिसके उपरान्त उनकी पेंषन बन्द करके श्री गुरुकिरत सिंह की पेंषन को चालु किया गया जोकि 25 वर्ष की आयु तक पेंषन के हकदार है । कार्यालय को यह ज्ञात हुआ कि श्री गुरुकिरत सिंह ने 2020 से अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवाया है जिसके कारण उनकी पेंषन 2020 से रुकी हुई है । रिका ॅर्ड में उपलब्ध मोबाईल नम्बर गगगगगग6660 पर सम्पर्क करके उन्हें सूचित किया गया की श्री गुरुकिरत सिंह का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न होने की वजह से उनकी पेंषन 2020 से रुकी हुई है इसके बाद जब उन्हें जैसे उनके पिता का नाम व किस कम्पनी में काम करते थे सभी पेंषनरो के अकाउंट व बैंक के खाता सम्बन्धित जानकारी बतायी गयी तो उन्हें लगा ये एक सायबर फ्राड काल है । उन्होनें ये भी पूछा कि आपको ये नम्बर कहां से मिला । उनकी षंका को समझते हुए कार्यालय प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि

आप ईपीएफओ कार्यालय में आकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकते है । तत्पष्चात् श्री गुरुकिरत सिंह ने कहा कि वे खुद कार्यालय में आकर अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवायेगें ।वे 16 अप्रैल 2024 को स्वयं कार्यालय में आये और अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेटकरवाया

जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के उपरांत कार्यालय ने उचित कार्यावाही करते हुए उनको जनवरी 2020 से जून 2024 तक की बकाया पेंषन राषि 23,652/- रूपये का एरियर उनके पेंषन खाते में वितरित कर दिया और उनकी रुकी हुई पेंषन को भी फिर से चालु कर दिया ।श्री गुरुकिरत सिंह ने मोबाइल पर कार्यालय प्रतिनिधि से सम्पर्क किया और ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा की इस सामाजिक कल्याण से प्रेरित मुहिम का दिल से षुक्रिया अदा किया और बताया कि यह आर्थिक सहायता इस समय में उनके लिए ऐसी है-जैसे डूबते को तिनके का सहारा।

सफलता की कहानी -15

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाये है। उपरोक्त पेंशनरों के डिजीटल प्रमाण-पत्र जमा/मंगवाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी पेंशनरों को, कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य बस एक है - सामाजिक कल्याण।

पेंशनधारकों तक पहुॅचने के प्रयाश के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा की पेंशन शाखा द्वारा पेंशनर श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नि स्व श्री गुरमुख सिंह, पीपीओ संख्या 6876 का कार्यालय रिकार्ड में मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। संपर्क करने पर पेंशनर श्रीमती स्वर्ण कौर ने बताया कि उनके पति की मृत्यु 2017 में हो गई थी, उसके बाद उन्होंने विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए सभी दस्तावेज

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा में जमा करवा दिए गए थे। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करना पडता हैं, मुझे पत्र प्राप्त होने के बाद इसका पता चला हैं।

तत्पश्चात, श्रीमती स्वर्ण कौर ने अपने आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करवाए गए। पेंशन विभाग द्वारा तत्काल कारवाई करते हुए पेंशनर को पेंशन एरियर के रूप में 61,698/- रूपये का भुगतान किया गया व माह जून 2024 से मासिक पेंशन प्रारंभ कर दी गई है।

श्रीमती स्वर्ण कौर द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन राशि मिलने के बाद पेंशनर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के इस कार्य की तहे दिल से सराहना की गई व हार्दिक आभार प्रकट किया ।

सफलता की कहानी -16

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नही करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंशन बंद पडी हुई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने पेंशनर श्री हरमेंद्र सिंह, पीपीओ संख्या 8456 का मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पता चला उनकी पेंशन 2018 से रूकी हुई है। तब वे हमारे दफ्तर में आए और हमने उन्हें बताया कि आपकी पेंशन शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज डीएलसी अर्थात डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट/जमा होना अत्यंत आवश्यक है।

वे इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी गई कि कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उन्हें 2018 से नहीं मिल रहा हैं। और उन्होंने बातचीत के दौरान हमें यह भी बताया कि वे बहुत गरीब परिवार से हैं। उन्हें पेंशन के बारे में ईपीएफओ से पत्र मिलने के बाद एक नई उमीद की किरण जगी हैं और अब बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जैसे रोजमर्रा के जीवन में होने वाले खर्चों का वहन ठीक से हो सकेगा।

हमारे द्वारा बताए गए सभी दस्तावेजों को श्री हरमेंद्र सिंह ने कार्यायल में जमा करवा दिए। कार्यालय द्वारा सभी दस्तावेजों को ठीक से जांचाने के बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए, पेंशनर बकाया राशि के रूप में 78,309/- रूपये का भुगतान किया गया। पेंशनर द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन मिलने के बाद तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा कि इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी - 17

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा द्वारा पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत पाया गया है कि कई पंेशनरों ने 5 वर्षाेंं से अधिक समय से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये है। इस अभियान के तहत, पांच वर्षाेंं से पेंशन से वंचित ऐसे पेंशनधारकों के कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध मोबाइल नंबर और पते एक्त्रित किए गए। जिन पेंशनधारकों के कार्यालय मोबाइल नेंबर उपलब्ध नहीं थे, उनके नंबरों के लिए उनके बैंकों से संपर्क किया गया। साथ ही, प्रवर्तन अधिकारियों को सीधे पेंशनधारकों से संपर्क करने के आदेश दिए गए है। क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने इस अभियान के अंतर्गत ऐसे कई पेंशनधारकों से संपर्क करके उनके जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

कार्यालय द्वारा जब पीपीओ संख्या 13431 के पेंशनधारक से संपर्क किया गया तो ज्ञात हुआ कि गुरशरण सिंह की माता पेशनर श्रीमती बलवीर कौर की मृत्यु 04.10.2017 को हो गई थी। जबकि उनके पिता स्व श्री सिंगारा सिंह की मृत्यु पहले ही 2012 में हो चुकी थी। माता जी कि मृत्यु होने के बाद उन्हें इस बात कि जानकारी ही नहीं थी कि

पंेशन का लाभ किस प्रकार लेना हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा द्वारा उन्हंे पूरी जानकारी दी गई। और उन्हें ये भी बताया गया कि अपकी माता जी की मृत्यु के बाद अपकी जो पेंशन नोर्मल दी जाती थी अब वह पेंशन अनाथ पेंशन में तबदील हो जाएगी, जो कि नोर्मल पेंशन से कही ज्यादा हैं।

इसके लिए आपको कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र और साथ में कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होगें। ये सभी दस्तावेज बैंक से सत्यापित होगें। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने सभी दस्तावेज कार्यायल में जमा करवा दिए। दस्तावेजों की जाॅच के उपरांत कार्यालय द्वारा गुरशरण सिंह की बकाया पेंशन कि राशि 51,113/- रूपयेे का भुगतान कर दिया गया हैं।

श्री गुरशरण सिंह ने बकाया राशि मिलने के बाद बताया कि उनके माता-पिता दोंनों की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था और पढने-लिखने की आयु में ही परिवार का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा से पेंशन के बारे में पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें कुछ आशा की किरण जगी है और में क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा का तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी - 18

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा द्वारा पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत पाया गया है कि कई पंेशनरों ने 5 वर्षाें से अधिक समय से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये है। इस अभियान के तहत, पांच वर्षाें से पेंशन से वंचित ऐसे पेंशनधारकों के कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध मोबाइल नंबर और पते एक़ित्रत किए गए। जिन पेंशनधारकों के कार्यालय मोबाइल नेंबर उपलब्ध नहीं थे, उनके नंबरों के लिए उनके बैंकों से संपर्क किया गया। साथ ही, प्रवर्तन अधिकारियों को सीधे पेंशनधारकों से संपर्क करने के आदेश दिए गए है। क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने इस अभियान के अंतर्गत ऐसे कई पेंशनधारकों से संपर्क करके उनके जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के पेंशनर स्व श्री हरदीप सिंह, पीपीओ संख्या 23148 की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती रेमपी एवं पुत्र हिमांशुदीप को ईपीएफओ कार्यालय, बठिण्डा से वर्ष 2018 में पेंशन स्वीकृत हुई थी। उनकी पेंशन एक वर्ष बाद जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न किए जाने के कारण बंद हो गई थी। कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध मोबाइल नंबर गगगगगग1007 पर संपर्क किया गया। लेकिन मोबाइल नंबर रिर्चाज नहीं होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कुछ दिन के बाद दोबारा से फिर संपर्क करने कि कोशिश कि और हमें संपर्क करने में सफलता हासिल हो गई, तब श्रीमती रेमपी से बात हुई और उन्होंने बताया की यह नंबर उन्होंने दो दिन पहले ही रिर्चाज किया हैं और बताया कि उनके पती कि मृत्यु के बाद वो दो साल तक डिप्रेशन में थी उसके बाद मायके में पती की मृत्यु के अकेली होने के कारण, मेरे माता-पिता मुझे और मेरे बेटे को जालंधर अपने धर लेकर आ गए। उसके बाद मैने अपने आप को संभ्भाला और में लुधियाना में ही अपना निर्वाह करने के लिए जोब करने लगी। श्रीमती रेमपी ने यह भी बताया कि मुझे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में पता ही नहीं था कि इसको प्रत्येक साल जमा करवाना पडता हैं। इसके बाद क्स्ब् ैमबजपवद (पेंशन विभाग) द्वारा उन्हे ईपीएफओ की स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी गई और जीवन प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दास्तावेज जमा करवाने के लिए बताया गया। कुछ समय पश्चात श्रीमती रेमपी के द्वारा अपने व अपने बेटे के सभी दस्तावेज कार्यायल में जमा करवा दिए। दस्तावेजों की जाॅच के उपरांत कार्यालय द्वारा बकाया पेंशन कि राशि 1,25,928/- रूपयेे व 31,482/- रूपये स्वीकृत किए गए है, जो कि संबंधित

बैंक को हस्तान्तरित करने हेतु भिजवा दी गई है। श्रीमती रेमपी ने क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा का तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी -19

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाये है। उपरोक्त पेंशनरों के डिजीटल प्रमाण-पत्र जमा/मंगवाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी पेंशनरों को, कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकार्ॅड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है।

पेंशनधारकों तक पहुॅचने के प्रयाश के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा की पेंशन शाखा द्वारा पेंशनर श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि स्व श्री श्याम लाल पीपीओ संख्या 570 के कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध मोबाईल नंबर 9878307624 पर संपर्क किया गया और उन्हें सूचित किया गया कि अपकी बेटी सरोज रानी की पेंशन जूलाई 2015 से जीवन प्रमाण पत्र ना प्राप्त होने के कारण रूकी हुई हैं। तब श्रीमती कृष्णा देवी ने बताया कि वो ज्यादा पढी लिखी नहीं हैं, उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को भी ईपीएफओ से पेंशन का लाभ मिलता हैं, और उन्होंने श्री जगदीश, अनुभाग पर्यवक्षक की बात अपनी बेटी सरोज रानी से करवाई, तब श्री जगदीश, अनुभाग पर्यवक्षक द्वारा उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत देय लाभ के विषय में बताया गया व अनुरोध किया गया कि अपने आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा में जमा करवा दें तो आपको पेंशन का लाभ मिल सकता है।

तत्पश्चात, सरोज रानी ने अपने आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करवाए गए। पेंशन विभाग द्वारा तत्काल कारवाई करते हुए पी.पी.ओ. संख्या 570 के अंतर्गत पेंशनर को पेंशन एरियर के रूप में 25,775/- रूपये का भुगतान किया गया।सरोज रानी द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन राशि 25,775/- रूपये मिलने के बाद पेंशनर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के इस कार्य की तहेदिल से सराहना की गई व हार्दिक आभार प्रकट किया गया

सफलता कीकहानी -20

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिन पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाये गए हैं। उनसे कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। ताकि पेंशनरों को उनकी पेंशन का लाभ दिया जा सके।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के पेंशनर श्री बलजिंदर सिंह, पीपीओ संख्या 20747 की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती जसपाल कौर एवं दो बच्चों प्रवजोत सिंह व रमनप्रीत कौर को ईपीएफओ कार्यालय, बठिण्डा से वर्ष 2019 तक पेंशन दी गई थी। इसके बाद उनकी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न किए जाने के कारण बंद हो गई थी। कार्यालय रिकार्ड मे लाभार्थी का संपर्क नंबर गलत होने के कारण उनके उपलब्ध पते पर पत्र भेजा गया।

पत्र प्राप्त होने के बाद श्रीमती जसपाल कौर द्वारा कार्यालय से संपर्क किया गया और उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था उनकी पेंशन किस विभाग से आ रही हैं। उसके बाद डीएलसी सेक्शन द्वारा श्रीमती जसपाल कौर को बताया गया कि आपको ताउम्र एवं 25 वर्ष आयु पूरी होने तक अपके बच्चों को पेंशन प्राप्त होगी जिसके लिए आप सभी को अपने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने होंगे, यह आप साइबर कैफे में जाकर भी ऑनलाईन अपडेट करवा सकते हैं। जब वो साइबर कैफे गए तो साइबर कैफे वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ईपीएफओ की

साईट पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करने हैं। फिर साइबर कैफे वाले को मोबाइल पर ही क्रमानुसार जीवन प्रमाण पत्र को कैसे अपडेट किया जाता है, के बारे में समझाया गया।

साइबर कैफे द्वारा श्रीमती जसपाल कौर, उनके सुपुत्र प्रवजोत सिंह एवं पुत्री रमनप्रीत कौर का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के उपरांत ईपीएफओ कार्यालय, बठिण्डा द्वारा आवश्यक कार्यावाही करते हुए उन तीनों को पिछली बकाया पेंशन राशि विधवा श्रीमती जसपाल कौर की राशि 1,32,665/- रूपये, प्रवजोत सिंह की राशि 33,150/-रूपये तथा रमनप्रीत कौर की राशि 33,150/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

श्रीमती जसपाल कौर, उनके सुपुत्र प्रवजोत सिंह एवं पुत्री रमनप्रीत कौर द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंशन राशि 1,98,965/- रूपये मिलने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के इस कार्य की तहेदिल से सराहना की गई व हार्दिक आभार प्रकट किया गया।

सफलता की कहानी -21

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा एक विषेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिन पेंशनरों द्वारा 05 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाये गए हैं। उनसे कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। ताकि पेंशनरों को उनकी पेंषन का लाभ दिया जा सके।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के **पेंशनर श्री जगषीर सिंह, पीपीओ संख्या 17041** की मृत्यु के पष्चात उनकी पत्नी श्रीमती सुखविंदर कौर एवं दो बच्चों गुरप्रीत कौर व हरप्रीत कौर को ईपीएफओ कार्यालय, बठिण्डा से वर्ष 2017 तक पेंषन दी गई थी। इसके बाद उनकी

पेंषन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न किए जाने के कारण बंद हो गई थी। कार्यालय रिकार्ड मे लाभार्थी का संपर्क नंबर गलत होने के कारण उनके उपलब्ध पते पर पत्र भेजा गया।

पत्र प्राप्त होने के बाद श्रीमती सुखविंदर कौर द्वारा कार्यालय से संपर्क किया गया और उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था उनकी पेंषन किस विभाग से आ रही हैं। उसके बाद डीएलसी सेक्षन द्वारा श्रीमती सुखविंदर कौर को बताया गया कि आपको ताउम्र एवं 25 वर्ष आयु पूरी होने तक अपके बच्चों को पेंषन प्राप्त होगी जिसके लिए आप सभी को अपने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने होंगे, यह आप साइबर कैफे में जाकर भी ऑनलाईन अपडेट करवा सकते हैं। तथा ईपीएफओ कार्यालय, बठिण्डा में आकर भी अपना और अपनी दोनों बेटियों का डीएलसी अपडेट करवा सकते है । क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा की सकारत्मक पहल से प्रभावित होकर श्रीमती सुखविंदर कौर ने ईपीएफओ कार्यालय में आकर डीएलसी अपडेट करवाना ज्यादा उचित समझा और 13 मई 2024 को कार्यालय में अपना और अपनी दोनों बेटियों का डीएलसी अपडेट करवाया ।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा द्वारा श्रीमती सुखविंदर कौर, उनकी सुपुत्री गुरप्रीत कौर एवं हरप्रीत कौर का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के उपरांत आवष्यक कार्यावाही करते हुए उन तीनों को मई 2017 से मई 2024 तक की बकाया पेंषन राषि के एरियर का भुगतान किया गया जिसमें विधवा श्रीमती सुखविंदर कौर की राषि 85,000/- रूपये, गुरप्रीत कौर की राषि 13,250/-रूपये तथा हरप्रीत कौर की राषि 10,283/-रूपये थी। इसके अलावा कार्यालय द्वारा इनकी मासिक पेंषन भी चालु कर दी गई ।

सुखविंदर कौर, उनकी सुपुत्री गुरप्रीत कौर एवं हरप्रीत कौर द्वारा लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंषन राषि 1,08,533/- रूपये मिलने और मासिक पेंषन चालु होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा के इस कार्य की तहेदिल से सराहना की गई व हार्दिक आभार प्रकट किया गया।

सफलता की कहानी - 22

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंषनरों को पेंषन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंषन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंषनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवष्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंषनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नहीं करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंषन बंद पडी हुई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने पेंषनर श्री मल सिंह, पीपीओ संख्या 20545 का मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पता चला उनकी पेंषन 2019 से रूकी हुई है। इसके पष्चात श्री मल सिंह ने कार्यालय से सम्पर्क किया जिस पर उन्हें बताया गया कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने के कारण आपकी पेंषन रुकी हुई है । आप साइबर कैफे में जाकर आॅनलाईन अथवा इेपीएफओ कार्यालय आकर भी डीएलसी अपडेट करवा सकते हैं। इसके पष्चात् पेंषनर श्री मल सिंह ने अपनी डीएलसी साइबर कैफे से आॅनलाईन अपडेट करवाई ।

जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के उपरांत आवष्यक कार्यावाही करते हुए जनवरी 2019 से मई 2024 तक की बकाया पेंषन राषि 65,000/- रूपये का एरियर का भुगतान पेंषनर श्री मल सिंह को किया गया ।

वे इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी गई कि कर्मचारी पेंषन योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा और वह पेंषन योजना का लाभ कैसे ले सकते है । क्योंकि सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण ही वो अपनी पेंषन योजना के लाभ से वंचित रहे । पेंषनर ने लम्बे समय से रुकी हुई बकाया पेंषन मिलने के बाद तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा कि इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी - 23

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंषनरों को पेंषन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंषन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंषनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवष्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंषनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नहीं करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंषन बंद पडी हुई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने पेंषनर श्री सन्तोक सिंह, पीपीओ संख्या 23064 का मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पता चला उनकी पेंषन 2019 से रूकी हुई है। इसके पष्चात श्री सन्तोक सिंह ने कार्यालय से सम्पर्क किया जिस पर उन्हें बताया गया कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने के कारण आपकी पेंषन रुकी हुई है । इनसे सम्पर्क करने पर पता चला कि उनके कुछ पारिवारिक कारण की वजह से वे अपने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवा पाए और उनकी पेंषन रुक गई । पेंषन रुकने पर उनको लगा कि अब भविष्य में उनको पेंषन नहीं मिल पाएगी व उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी । इस कार्यालय ने उन्हें देय पेंषन के लाभों से अवगत करवाया और उन्हें डीएलसी अपडेट करवाने के विभिन्न विकल्पों के बारे में भी जानकारी प्रदान की । इसके पष्चात् पेंषनर श्री सन्तोक सिंह ने अपनी डीएलसी साइबर कैफे से आॅनलाईन अपडेट करवाई ।

जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के उपरांत कार्यालय ने उनके मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्यावाही सुनिष्चित की । आवष्यक कार्यावाही करते हुए जनवरी 2019 से मई 2024 तक की बकाया पेंषन राषि 53,000/- रूपये का एरियर का भुगतान पेंषनर श्री सन्तोक सिंह को किया गया ।

पेंषन राषि जिसकी उनको उम्मीद भी नहीें थी मिलने के पष्चात् उनकी खुषी देखने लायक थी । वे इस बात से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा में स्वयं आकर बकाया पेंषन मिलने के लिए तहे दिल से इपीएफओ कार्यालय, बठिण्डा का आभार व्यक्त किया एवं इस मुहिम की सराहना की।

सफलता की कहानी - 24

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंषनरों को पेंषन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंषन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए, पेंषनरों को प्रत्येक वर्ष डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना आवष्यक है। यह पाया गया है कि कुछ पेंषनरों द्वारा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट/जमा नहीं करवाये गये हैं जिस कारण उनकी या उनके लाभार्थियों की पेंषन बंद पडी हुई है। उपरोक्त पेंषनरों के डिजीटल प्रमाण-पत्र जमा/मंगवाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विषेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी पेंषनरों को, कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंषनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंषनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंषनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेषित किया गया है। इस अभियान के पीछे उद्देष्य बस एक है - सामाजिक कल्याण।

क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा ने पेंषनर श्री सन्तोष सिंह, पीपीओ संख्या 20663 का मोबाईल नम्बर उपलब्ध ना होने के कारण उनके पते पर पत्र लिखकर सम्पर्क किया गया है। पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पता चला उनकी पेंषन 2019 से रूकी हुई है। इसके पष्चात श्री सन्तोष सिंह ने कार्यालय से सम्पर्क किया जिस पर उन्हें बताया गया कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने के कारण आपकी पेंषन रुकी हुई है । इनसे सम्पर्क करने पर पता चला कि श्री सन्तोष सिंह षारीरिक रुप से चलने फिरने में सक्षम नहीं है । अपनी षारीरिक अस्वस्थता के कारण वो अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवा पाए और उनकी पेंषन रुक गई । अगर उनको पेंषन की बकाया राषि मिलती है तो उनको अपने इलाज में बहुत सहायता होगी । ईपीएफओ कार्यालय द्वारा सम्पर्क उनके लिए जीवन में नई उम्मीद की किरण के समान है । क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा की इस मुहिम जो कि सामाजिक कल्याण से प्रेरित है पर भरोसा जताते हुए श्री सन्तोष सिंह क्षेत्रीय कार्यालय, बठिण्डा पर अपने पुत्र के साथ आये । वे चलकर आने में असमर्थ थे

इस बात को जानकर कार्यालय के सम्बन्धित प्रतिनिधि ने उनके वाहन जिसमें वो आये थे पर जाकर ही उनके दस्तावेज जाँचे । जाँच पर पता चला उनके कुछ दस्तावेज सत्यापित नहीें थे उनके दस्तावेजों को ईपीएफओ कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया गया । उसके पष्चात उनका जीवन प्रमाण पत्र वहीं पर अपडेट कर दिया गया ।

जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के उपरांत कार्यालय ने उनके मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्यावाही सुनिष्चित की । आवष्यक कार्यावाही करते हुए जनवरी 2019 से मई 2024 तक की बकाया पेंषन राषि 58,630/- रूपये का एरियर का भुगतान पेंषनर श्री सन्तोष सिंह को किया गया